प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

लखनऊ

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

3– समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी / सहायक बन्दोबस्त–
अधिकारी चकबन्दी(प्रशा0), उत्तर प्रदेश।

संख्याः 5187 / जी0–415 / 2002 दिनांकः 17 नवम्बर, 2005

विषयः चकबन्दी क्रियाओं में गांव सभा, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि को चकों में प्रदिष्ट करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय द्वारा जारी परिपत्र संख्या 4916 / जी0–415 / 2002 दिनांक 24 दिसम्बर,2004 एवं पूर्व में जारी परिपत्र संख्या 1958 / जी0–415 / 2000–2001 दिनांक 23–3–2001 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये यह कहना है कि उक्त परिपत्रों में वर्णित निर्देशों का कहीं–कहीं अनुपालन न होने से अनेकों शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं, जिसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जायेगा।

अतः पुनः कठोर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम सभा की भूमि निजी चकों में चकदारों को प्रदिष्ट करने के पूर्व जिलाधिकारी / जिला उप संचालक चकबन्दी की लिखित अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

अतः पुनः कठोर निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 23–3–2001 से लेकर अब तक समस्त ग्रामों में जहां चकबन्दी चल रही है अथवा पूर्ण हो चुकी है, उनमें जांच दल गठित कर सत्यापन कर यह देखा जाय कि उक्त परिपत्र के निर्देशों का विधिवत् पालन हुआ है अथवा नहीं। जिन मामलों में उक्त प्रक्रिया का उल्लघंन हुआ है, ऐसे मामलों को चिन्हित करके दोषी कर्मचारियों / अधिकारियों के नाम अधोहस्ताक्षरी को भेजे जाय, ताकि उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। साथ ही इन प्रकरणों में विधिक रूप से संहत

कार्यवाही की जाय, जिससे ग्राम सभा को हुई क्षति की पूतिपूर्ति हो सके। इसकी समीक्षा विस्तृत रूप से मासिक बैठकों में की जायेगी।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(पी0के0 झा)

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, लखनऊ।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

3– निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4– निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (इकबाल महमूद जी), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

5– मुख्यालय के समस्त अधिकारी गण।

(पी0के0 झा)

चकबन्दी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश